

20/10/22

पञ्जावली पेश डई। सरकारी परोकार  
इपछ। मप्रार्थी कि नामिल मद्रम  
लोटी है। जिससे पश्चात मप्रार्थी कि  
तलवी हेतु पुनः नोटिस तलवाना  
पेश नही किया गया है। जबकि नियमावली  
पुनः नोटिस तलवाना खात दिवस में  
पेश करना चाहिए था जो नही किये  
गये जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा  
आर्डर 9 रू 5 सी. पी. सी में दिये  
निर्देशों कि पालना नही कि गई है।  
जो अवहेलना कि अर्थी से माना है।

अतः इस आधार पर  
तहसीलदार बीमकाथाना (प्रार्थी) द्वारा  
प्रस्तुत प्रार्थना पर मन्वगति नियम  
14(4) रा० भू० रा० अधिनियम का आर्डर  
9 रू 5 सी. पी. सी के तहत खारीज किया  
जाता है। पञ्जावली फैसल कुमार होकर  
नम्बर लै कम होकर दारिकल इस्टेट

(सचिव कुमार)  
जिला क...  
नामकाथाना (सिखर)

